IS 15700-2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–पंचम्
नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ–226016

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700
मानक: पथप्रदर्शक:
Bureau of Indian Standards
SQMS

पत्र सं.-389 /वा0नि0-5/6317/263(I) दिनांक- 28/02/22

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत

स्वीकृति- पत्र

सेवा में,

श्री सुधीर शर्मा,
सचिव, सियाराम कस्तूरी देवी एजुकेशनल, सोसायटी,
निवासी-डी.एस.-1,पॉकेट-डी, लोहियानगर,
मेरठ, उ0 प्र0।

विषयः परिषद की जागृति विहार(विस्तार) योजना सं0-11, मेरठ स्थित खसरा सं0-6317 क्षेत्रफल 2433.00 वर्गमी0 के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के संबंध में। ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक-30.11.2021 के माध्यम से परिषद की जागृति विहार(विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ के खसरा संख्या-6317 (समायोजित भूमि) का भू-उपविभाजन मानचित्र आवासीय भूखण्डों के रूप में नियोजित करते हुये प्रश्नगत भूमि पर तलपट मानचित्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। जिसके क्रम में परीक्षणोंपरान्त प्रकरण को स्वीकृति योग्य पाये जाने के उपरान्त आवास आयुक्त(म0) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आवास आयुक्त(म0) द्वारा कतिपय शर्तों सहित तलपट मानचित्र पर तकनीकी अनुमोदन दिनांक-07.12.2021 को प्रदान किया गया है।

उक्त के क्रम में परिषद नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

1. वर्तमान में नगरीय विकास प्रभार शुल्क को स्थगित रखते हुये तलपट मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। जिसके सम्बंध में आवास आयुक्त(म0) द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आप द्वारा ई-स्टैम्प नं0-**INUP32331732419253U** दिनांक-28.02.2022 के माध्यम से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ***"नगरीय विकास प्रभार शुल्क के सम्बंध में शासन / CTCP द्वारा यह निर्णय लिया जाता है की उसका भुगतान किया जाना है तो वह आवेदनकर्ता /संस्था द्वारा जमा कराया जायेगा। अन्यथा उसकी मानचित्र cancellation किया जायेगा।"***
2. निर्माण/विकास कार्य विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
3. स्वीकृत तलपट मानचित्र में आन्तरिक विकास की अवधि पाँच वर्ष की होगी। (दिनांक 28/02/2022 से 27/02/2027 तक)।
4. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
5. स्वीकृति, प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 2433.00 वर्गमी0 में आवासीय भूखण्डों पर प्रदान की गई है।
6. प्रश्नगत भूमि का समायोजन ले-आउट मानचित्र कार्यालय पत्रांक-2556/नि0प्रा0-5/263 दिनांक-25.10.2021 द्वारा निर्गत है।
7. वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार 10 प्रतिशत ई.डब्लू.एस. तथा 10 प्रतिशत एल.आई.जी. भवनों का निर्माण के सापेक्ष शेल्टर फीस रू० 28,08,960/- जमा किया गया है।
8. भूखण्ड पर तलपट मानचित्र के अनुसार पुनः विकास हेतु सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-मेरठ-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ को विकास कार्य प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले स्वीकृत ले-आउट की प्रति सहित देनी होगी।
9. भूखण्ड/भूमि के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर कोई मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भूमि में हो रहे विकास कार्य से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उसे रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र/ले-आउट का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।

क्रमशः-2

12. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित/प्रस्तावित वृक्षों के रख रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था भू-स्वामी/फर्म द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
13. स्वीकृत ले-आउट के अनुसार समस्त आंतरिक विकास कार्य भू-स्वामी/फर्म द्वारा स्वंय किये जायेंगें तथा प्रत्येक भूखण्ड पर निर्माण से पूर्व भवन मानचित्र परिषद द्वारा नियमानुसार स्वीकृत कराया जाना आवश्यक होगा।
14. उक्त तलपट मानचित्र पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 यथासंशोधित 2018 के समस्त प्राविधान लागू होंगे।
15. परिषद के पक्ष में यदि ले-आउट निर्गत करने के उपरान्त भी किसी प्रकार के शुल्क की देयता बनती है तो भू-स्वामी/ फर्म द्वारा देय होगी।
16. शासनादेश के अनुसार कम से कम 125 पेड़/हैक्टे0 की दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
17. शासनादेश के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति एवं जलाशय का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
18. शासनादेश के अनुसार सोलर पैसिव पद्ति को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा।
19. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश एवं परिषद कार्यालय आदेश मान्य होंगे।
20. उपविधि के प्रस्तर-2.1.2.3 के अनुसार कूडा प्रबन्धन हेतु ले-आउट में प्राविधान सुनिश्चित किया जाना होगा।
21. भू-स्वामी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रनाण-पत्र भी संलग्न करना होगा। निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2018 में निहित प्रविधानों के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना होगा।

संलग्नकः- तलपट मानचित्र।

भवदीय,

28/04/22

(विजय बहादुर सिंह)
मुख्य वास्तुविद नियोजक

पृ0सं0- /उक्त / दिनांकः

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता-मेरठ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर-9, शास्त्री नगर, मेरठ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-मेरठ-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर-9, शास्त्री नगर, मेरठ।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर-9, शास्त्री नगर, मेरठ।

मुख्य वास्तुविद नियोजक